



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 280 राँची, गुरुवार,

18 मई, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

11 मई, 2023

संख्या-248(9)--

विषय: राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) एवं ईन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण की स्वीकृति के संबंध में।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं०-87(9) दि०-27.02.2017 द्वारा शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) की वृत्तिका का निर्धारण एवं राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय के ईन्टर्नस की वृत्तिका का निर्धारण किया गया है।

2. शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) को विभागीय संकल्प सं०- 87(9) दिनांक-27.02.2017 के क्रम में प्रतिमाह मासिक वृत्तिका की दर निम्नवत है-

संस्थान का नाम	पदनाम	प्रति माह निर्धारित वृत्तिका की राशि
एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर	जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) - स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष	41,000
	जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) - स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष	42,000
	जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) - स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष	43,000
	जूनियर रेजिडेंटस एम०बी०बी० एस० (नॉन एकेडमिक)	41,000
पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद	जूनियर रेजिडेंटस एम०बी०बी०एस० (नॉन एकेडमिक)	41,000

3. शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के जूनियर रेजिडेंटस को वृत्तिका के रूप में दी जा रही अनुमान्य राशि रिम्सरॉची एवं अन्य संस्थानों में समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे रेजिडेंटस से कम है। वर्तमान में एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में कार्यरत सभी जूनियर रेजिडेंटस द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरयुक्त आवेदन देते हुए अपनी वृत्तिका रिम्सरॉची के अनुरूप निर्धारित करने की माँग की गयी है।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017 से पी०जी० में अध्यनरत छात्रों को सम्प्रति प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रतिमाह क्रमशः 50,000, 55,000 एवं 60,000 हजार रू० मानदेय दिया जा रहा था। पुनः वर्ष 2020 से इनके मानदेय की राशि को पुनरीक्षित कर पी०जी० प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः 68,545, 75,399 एवं 82,938 हजार रू० किया गया है।

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक) का मानदेय बिहार सरकार एवं रिम्स, राँची की तुलना में कम है।

4. अतः राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंटस (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) को वर्तमान में दी जा रही मासिक वृत्तिका की वृद्धि निम्नवत की जाती है :-

संस्थान का नाम	पदनाम	पूर्व की मासिक वृत्तिका	स्वीकृत मासिक वृत्तिका
एम०जी०एम० महाविद्यालय जमशेदपुर	चिकित्सा अस्पताल जूनियर रेजिडेंट्स (एकेडमिक) - स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष	41,000	54,500
	जूनियर रेजिडेंट्स (एकेडमिक) - स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष	42,000	58,500
	जूनियर रेजिडेंट्स (एकेडमिक) - स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष	43,000	63,000
	जूनियर रेजिडेंट्स एम०बी०बी०एस० (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500
शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद	जूनियर रेजिडेंट्स एम०बी०बी०एस० (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500
फुलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दुमका	जूनियर रेजिडेंट्स एम०बी०बी०एस० (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500
मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पलामू	जूनियर रेजिडेंट्स एम०बी०बी०एस० (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500
शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, हजारीबाग	जूनियर रेजिडेंट्स एम०बी०बी०एस० (नॉन एकेडमिक)	41,000	54,500

5. यह मानेदय उन्हीं जूनियर रेजिडेंट्स चिकित्सकों (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) को देय होगा, जो निजी प्रैक्टिस नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे। यह भुगतान संबंधित मद से सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

6. विभागीय संकल्प सं0-87(9) दिनांक-27.02.2017 द्वारा शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर के ईन्टर्नस को वृत्तिका 15,000/- रुपये प्रतिमाह दी जा रही है।

वर्ष 2017 के बाद मंहगाई में वृद्धि को देखते हुए राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, के ईन्टर्नस को वर्तमान में दी जा रही मासिक वृत्तिका की वृद्धि निम्नवत की जाती है :-

संस्थान का नाम	पूर्व की मासिक वृत्तिका	स्वीकृत मासिक वृत्तिका
एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर	15,000	17,500
शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद	15,000	17,500
शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हजारीबाग	-	
मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पलामू	-	
फुलो-झानों चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दुमका	-	

यह भुगतान योजना/गैर योजना मद से संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

7. विभागीय संकल्प सं0- 87 (9) दिनांक-27.02.17 द्वारा शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद एवं एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में इन्टर्नशीप कोर्स पूरा होने के पश्चात् जूनियर रेजिडेंटस(नॉन एकेडमिक) को आवेदन देने के लिए निर्धारित दो वर्ष की अवधि को बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रावधान यथावत् बनाये रखा जाता है।

8. वृत्तिका का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत **शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद** हेतु मुख्य शीर्ष 2210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - उप मुख्य शीर्ष -01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - एलोपैथी - लघु शीर्ष -110- अस्पताल तथा औषधालय - उपशीर्ष -05- पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, धनबाद - विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-50- छात्रवृत्ति/वजीफा,

एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर हेतु मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- उप मुख्य शीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-32- एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर-01-एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान- 50-छात्रवृत्ति/वजीफा तथा मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- उप मुख्य शीर्ष- 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी- लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना- उपशीर्ष- 85- एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान- 50- छात्रवृत्ति/वजीफा,

गैर योजनान्तर्गत

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग हेतु मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-61-हजारीबाग मेडिकल अस्पताल-06- अनुदान-50- छात्रवृत्ति/वजीफा,

मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पलामू हेतु मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-59-पलामू मेडिकल अस्पताल-06- अनुदान-50- छात्रवृत्ति/वजीफा,

फुलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दुमका हेतु मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-60-दुमका मेडिकल अस्पताल-06- अनुदान-50- छात्रवृत्ति/वजीफा से विकलनीय होगा।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संलेख जापांक संख्या-98(9)दिनांक-21.02.2023 के क्रम में दिनांक-27.04.2023 की बैठक में मद सं0-10 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव।
